

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 303] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 1984/आषाढ़ 8, 1906
No. 303] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 1984/ASADHA 8, 1906

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 1984

का.आ. 474(अ).—केन्द्रीय सरकार, हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का 7) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के उपक्रम और उसके उपक्रमों के सम्बन्ध में उक्त कंपनी के अधिकार, हक और हित, जो उक्त अध्यादेश की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार से निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार से निहित बने रहने के बजाये, 28 जून, 1984 से ही बर्न स्टेन्डर्ड्स कंपनी लिमिटेड में जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय-10-सी, हुंगरफोर्ड स्ट्रीट, कलकत्ता-700017 में है, निहित हो जाएगा।

१

[फा. सं. 1(8)/84-एच. ई. 2]

जी. एस. ग्रेवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 1984

S.O. 474(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 5 of the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1984 (7 of 1984), the Central Government hereby directs that the undertakings of the Hooghly Docking and Engineering Company Limited, Calcutta, and the right, title and interest of the said Company in relation to its undertakings, which have vested in the Central Government under section 3 of the said Ordinance, shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest in Burn Standard Company Limited, having its registered office at 10-C, Hungerford Street, Calcutta-700017, on and from the 28th day of June, 1984.

[F. No. 1(8)/84-HE. II]

G. S. GREWAL, Jt. Secy.